भारत सरकार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2496

(दिनांक 13.03.2026 को उत्तर देने के लिए)

सीबीएफसी द्वारा भारतीय फिल्मों का प्रमाणीकरण

2496. श्री मल्लिकार्जुन खरगेः

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) को प्रमाणन हेतु प्रस्तुत की गई फिल्मों की संख्या कितनी है, और कितनी फिल्मों में बोर्ड ने सीन हटाने और उनमें संशोधन का निर्देश दिया या प्रमाणन देने से इन्कार कर दिया;

(ख) इस अवधि के दौरान प्रमाणित फिल्मों का श्रेणी-वार (यू, यू/ए, ए, एस) ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रमाणन में लगने वाला औसत समय कितना है और कितने मामलों में निर्धारित समय सीमा से अधिक समय लगा है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान सीबीएफसी के प्रमाणन निर्णयों के विरुद्ध उच्च न्यायालयों में दायर अपीलों की संख्या कितनी है और वर्ष-वार स्वीकार की गई, संशोधित या खारिज की गई अपीलों की संख्या कितनी है?

उत्तर

सूचना और प्रसारण एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री

(डॉ. एल. मुरूगन)

(क) से (घ): केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन एक सांविधिक निकाय है, जो चलचित्र अधिनियम 1952, चलचित्र प्रमाणन नियम, 2024 और उनके तहत जारी दिशानिर्देशों के अंर्तगत सार्वजनिक प्रदर्शन हेतु फिल्मों का प्रमाणन करता है। कटौती या संशोधन की सिफारिश केवल तभी की जाती है जब सामग्री भारत की संप्रभुता और

अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता, मानहानि, न्यायालय की अवमानना अथवा अपराध के लिए उकसावे से संबंधित सांविधिक मानकों का उल्लंघन करती हो।

पिछले पाँच वर्षों में सीबीएफ़सी द्वारा प्रमाणित फ़िल्मों (डिजिटल और वीडियो दोनों) का तथा जिन फ़िल्मों को प्रमाणन देने से मना किया गया, उनका वर्ष-वार विवरण नीचे दिया गया है:-

वर्ष	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**
प्रमाणित की गई कुल फिल्में	8299	12719	18070	17431	15444
कटौती/संशोधनों के साथ प्रमाणित फिल्में	1475	1911	2205	2440	3033
प्रमाणन से मना किया गया	0	0	1	0	2

पिछले पाँच वर्षों (2020-21 से 2024-25) के दौरान, केंद्रीय फ़िल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफ़सी) ने 71,963 फ़िल्मों को प्रमाणित किया है। फ़िल्मों का श्रेणी-वार विवरण इस प्रकार है:

प्रमाणन श्रेणी	**प्रमाणित की गई कुल फ़िल्में (2020-21 से 2024-25)**
यू	41,817
यूए*	28,268
ए	1,878
एस	0

* यूए श्रेणी के अंतर्गत आयु-आधारित पर उप-श्रेणियाँ चलचित्र (प्रमाणन) नियम, 2024 के तहत शुरू की गई थीं।

चलचित्र (प्रमाणन) नियम, 2024 के नियम 37 के अनुसार, फ़िल्मों के प्रमाणन के लिए निर्धारित समय-सीमा 48 कार्य दिवस है। ऑनलाइन प्रमाणन प्रणाली लागू होने के साथ, वर्तमान में फीचर फ़िल्मों के लिए प्रमाणन में लगने वाला औसत समय 22 कार्य दिवस और लघु फ़िल्मों के लिए 3 कार्य दिवस है।

चलचित्र अधिनियम, बोर्ड के आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील करने का प्रावधान करता है। ऐसे मामलों का निपटारा न्यायिक कार्यवाही के परिणाम के अनुसार किया जाता है। उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दिए गए निर्णयों की वर्ष-वार सूचना नीचे दी गई है:

वर्ष	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई	2	4	1	4	10

*****